रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 719] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2017/फाल्गुन 19, 1938
No. 719] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2017/PHALGUNA 19, 1938

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2017

का.आ. 800(अ).—जबकि, सेवाओं अथवा लाभों अथवा राजसहायताओं की आपूर्ति के लिए पहचान कागजात के रूप में आधार के उपयोग से सरकार की आपूर्ति प्रक्रिया सरल होती है, पारदर्शिता और दक्षता आती है और सरल एवं निरंतर रीति से लाभार्थियों को उनके अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं और आधार पहचान साबित करने के लिए अनेक कागजात प्रस्तुत करने की आवश्यकता का निराकरण करता है।

और जबकि समेकित बागवानी विकास मिशन में 6 उप-योजनाएं नामत: राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन (एचएमएनईएच), राष्ट्रीय कृषि वानिकी और बांस मिशन (एनएबीएम), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) और केंद्रीय बागवानी संस्थान (सीआईएच), नागालैंड हैं जिसमें से राष्ट्रीय बागवानी मिशन और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाएं हैं और शेष योजनाएं केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं।

और जबकि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड और केंद्रीय बागवानी संस्थान, नागालैंड की केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजनाओं के मामले में उपर्युक्त मिशन के तहत राजसहायता भारत की संचयी निधि से वहन की जाती हैं और राष्ट्रीय बागवानी मिशन और पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन की केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के मामले में उपर्युक्त मिशन के तहत राजसहायता को भारत की संचयी निधि से आंशिक रूप से वहन किया जाता है।

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य राजसहायताओं, लाभों और सेवाओं की लक्षित आपूर्ति) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (इसके पश्चात् कथित अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती हैं, अर्थात्:-

(1) समेकित बागवानी विकास मिशन की एनएचएम और एचएमएनइएच उप-योजनाओं के तहत राजसहायता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को आधार संख्या प्राप्त होने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा अथवा पहचान साबित करनी होगी अथवा ऐसे व्यक्ति, जिनको आधार संख्या प्राप्त नहीं है, वे आधार पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं;

बशर्ते कि यदि ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या प्राप्त नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को एमआईडीएच मिशन की उप-योजना के तहत राजसहायता प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक अथवा व्यवहार्य पहचान प्रदान करनी चाहिए।

(2) ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने अभी तक आधार में पंजीकरण नहीं कराया है, वो उक्त मिशन की उप-योजनाओं के तहत राजसहायता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को आधार पंजीकरण के आवेदन करना चाहिए और यदि वह व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के तहत आधार प्राप्त करने का प्राप्त है तो ऐसे व्यक्तियों को आधार में पंजीकरण हेतु आधार पंजीकरण केंद्र (www.uadai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अनुसार उक्त मिशन के तहत उपर्युक्त उप-योजनाओं के लिए कार्यान्वयक एजेंसी यह सुनिश्चित करें कि उनके ऐसे लाभार्थी जिनका आधार पंजीकरण नहीं हुआ है, को यूआईडीएआई के परामर्श से यूआईडीएआई रजिस्ट्रार की भूमिका में पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने अथवा सुविधाजनक स्थानों पर पंजीकरण केंद्र स्थापित करने अथवा रजिस्ट्रार के सहयोग से उचित माध्यम से ऐसे लाभार्थियों को पंजीकृत करवाएं।

बशर्ते कि व्यक्ति को आधार मिलने तक उक्त मिशन उपर्युक्त उप-योजनाओं के तहत राजसहायता निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने की शर्त पर ऐसे अभ्यार्थियों को प्रदान की जाएगी, अर्थात:-

(क) (i) फोटो पहचान पत्र जैसे – वोटर आईडी कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, किसान फोटो पासबुक और राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, फोटो के साथ बैंक पासबुक; या

(ii) संबंधित राज्य सरकार द्वारा पहचान के लिए अधिसूचित कोई अन्य फोटो पहचान पत्र और

(ख) आधार नामाकंन पर्ची यदि लाभार्थी ने आधार के लिए नामाकंन दिया है अथवा लाभार्थी द्वारा पैरा-2 में निर्धारित आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की प्रति।

2. (1) लाभार्थियों को उक्त मिशन की उपर्युक्त उप-स्कीमों के तहत सुविधाजनक व बाधामुक्त सब्सिडी प्रदान करने के लिए फील्ड नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वयक एजेंसियां निम्नलिखित व्यवस्थाओं सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगी अर्थात्:

(2) उक्त मिशन की उपर्युक्त उप-स्कीमों के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के बारे में आवेदकों अथवा किसानों को जागरूक बनाने के लिए फील्ड अधिकारियों के माध्यम से मीडिया और वैयक्तिक सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और उन्हें ब्लॉक अथवा तहसील अथवा तालुका में उपलब्ध नजदीकी नामांकन केंद्रों पर अपना नामांकन करवाने के लिए सलाह दी जाए। स्थानीय उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(3) ब्लॉक अथवा तहसील अथवा तालुका में नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण लाभार्थी द्वारा नामांकन न करवा पाने के मामले में, कार्यान्वयक एजेंसियों से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं सृजित करना अपेक्षित होता है। आवेदकों अथवा लाभार्थियों से उनके वेब पोर्टल पर अन्य ब्यौरो जैसे पता, मोबाइल नम्बर के साथ अपना नाम देकर नामांकन के लिए अनुरोध को पंजीकृत कराने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

(4) यह अधिसूचना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसके प्रकाशन के पश्चात 1 अप्रैल, 2017 से लागू होगी।

[फा. सं. 18-3/2016-एमआईडीएच (एनएचएम)]

डॉ. पी. शकील अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2017

S.O. 800(E).—Whereas the use of Aadhaar as identity document for the delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas the Mission for Integrated Development of Horticulture has six sub-schemes, namely, the National Horticulture Mission (NHM), Horticulture Mission for North East & Himalayan States (HMNEH), National Agro-forestry & Bamboo Mission (NABM), National Horticulture Board (NHB), Coconut Development Board (CDB), and the Central Institute for Horticulture (CIH), Nagaland, out of which the National Horticulture Mission, and the Horticulture Mission for North East and Himalayan States are centrally sponsored schemes and the rest of the schemes are central sector schemes;

And whereas, in case of central sector sub-schemes of National Horticulture Board, Coconut Development Board and the Central Institute for Horticulture, Nagaland, subsidy under aforesaid Mission is the expenditure wholly incurred from the consolidated fund of India and in case of centrally sponsored schemes of National Horticulture Mission, Horticulture Mission for North East and Himalayan States subsidy under the aforesaid Mission is the expenditure partly incurred from the consolidated fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmer's Welfare hereby notifies the following, namely:-

(1) Individuals desirous of availing the subsidy under NHM and HMNEH of Mission for Integrated Development of Horticulture are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo authentification or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, such individual may make a request for enrolment;

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to such individual, the individual shall be offered alternate and viable means of identification for delivery of subsidy under the aforesaid sub-schemes of MIDH Mission.

(2) An individual desirous of availing subsidy under the aforesaid sub-schemes of the said Mission who is not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment, if he is entitled to obtain Aadhaar under the provisions of section 3 of the said Act, and such individual may visit any Aadhar enrolment center (list available at www.uadai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations 2016, Implementing agencies for the aforesaid sub-schemes under the said Mission shall ensure enrolment of its beneficiaries who are yet to be enrolled, through appropriate measures, including co-ordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilitates by becoming UIDAI Registrar themselves in consultation with UIDAI;

Provided that till the time Aadhaar is assigned to an individual, subsidy under the aforesaid sub-schemes of the said Mission shall be given to such individual subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) Photo identity cards such as, voter ID card, driving license, PAN card, Ration card, Passport, Kisan photo passbook, and identity card issued by the State Government, Bank passbook with photograph etc; or

(ii) Any other photo identity cards notified for identification by the concerned state government and

(b) Aadhaar Enrolment slip, if he has enrolled for Aadhaar or a copy of request made for Aadhaar enrolment as specified in paragraph 2.

2. (1) In order to provide convenient and hassle-free subsidy under the aforesaid sub-schemes of the said Mission to the beneficiaries, the implementing agencies through their field network shall make all required arrangements including the following, namely;-

(2) Wide publicity through media and individual notices through field officers shall be given to applicants or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive the subsidy under the aforesaid sub-schemes of the said Mission and in case they are not enrolled, they may be enrolled at the nearest enrolment centers available in their Blocks or Tehsils or Taluka. The list of locally available enrolment centers shall be made available to them.

(3) In case beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centers in the Blocks / Tehsils / Taluka, the implementing agencies are required to create enrolment facilities at convenient locations and the applicants or beneficiaries may be requested to register their request, preferably on the web portal, for enrollment by giving their names with other details such as address, mobile number, etc.

(4) This notification shall come into effect from first day of April 2017 after its publication in all States and Union Territories.

[F. No. 18-3/2016-MIDH (NHM)]

Dr. P. SHAKIL AHAMMED, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.03.15 15:38:07 +05'30'